

कार्यालय-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा / माध्य / छाप्रोप्र / बी / असंपूमैछा / 2022-23 / 35

दिनांक :- 17/11/2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक / प्रारंभिक - मुख्यालय),

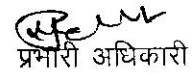
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा अभियान

विषय :- वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (N.S.P.) पर समस्त INO/DNO का केवाईसी.(KYC) एवं आधार आधारित प्रमाणीकरण करने के संबंध में।

प्रसंग :- शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक : 1/IP-SS date 16-11-2022 एवं सचिव शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार नई दिल्ली के अ.शा. पत्र क्रमांक D.O.17-1 / 2022SS दिनांक 03.10.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के में लेख है कि अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है इसके लिये राज्य के समस्त शिक्षण संस्थओं (सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय) को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (N.S.P.) पर केवाईसी (KYC) व आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar based demographic authentication) करवाना अनिवार्य है। आप अपने अधीनस्थ समस्त संस्था नोडल अधिकारी (INO) का शतप्रतिशत केवाईसी अपडेशन (KYC Updation) एवं आधार आधारित प्रमाणीकरण (Aadhaar based demographic authentication) अतिशीघ्र करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा विपरीत परिस्थिति के लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

सलग्न-उपरोक्तानुसार


प्रभारी अधिकारी

छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक :- 17/11/2022

क्रमांक :- शिविरा / माध्य / छाप्रोप्र / बी / असंपूमैछा / 2022-23 /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार नई दिल्ली के अ.शा. पत्र क्रमांक D.O.17-1 / 2022SS दिनांक 03.10.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक : 1/IP-SS date 16-11-2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है। सत्यमेव जयते
4. निदेशक, निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि अपने संभाग के अधीनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक / प्रारंभिक मुख्यालय एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पांबद कर समस्त संस्थाओं का केवाईसी अपडेशन, आधार आथेन्टीफिकेशन का कार्य पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को प्रेषित कर लेख है कि अपने जिले के अधीनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक / प्रारंभिक मुख्यालय एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पांबद कर समस्त संस्थाओं का केवाईसी अपडेशन, आधार आथेन्टीफिकेशन का कार्य पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. सिरटम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।


प्रभारी अधिकारी

छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर